सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने • के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धित स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है ;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को सासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के रूसाथ विरोध हो सकता है :

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है ;

अतः, अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इक्कुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

- (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है 🕸 🖽
- (3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसर्वे दिन को प्रमृत होंगे।

परिभाषाएं ।

- 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - ं(क) ''समुचितं सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो --
 - (i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
 - (ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है:
- (ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ;
- (ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है:
- (घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;
 - (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है-
 - (i) लोक समा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;
 - (ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ;
 - (iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ;
 - (iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ;
 - (v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक ;
- (च) "सूचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;
- (छ) "विहित" से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
 - (ज) "लोक प्राधिकारी" से,--

- 😗 ू (क्) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;
 - ं (ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :
 - (म) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
 - (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत,--

- (i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;
- (ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।
 - (झ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं--
 - (क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल ;
 - (ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति:
 - (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) ; और
 - (घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;
- (ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है--
 - (i) कृति, दस्तावेजों, अमिलेखों का निरीक्षण ;
 - (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;
 - (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;
 - (iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में मण्डारित है, अभिप्राप्त करना;
- (ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत हैं ;
- ्र (ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (३) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;
 - (ड) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपघारा (1) के अधीन पदाभिहित

राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत घारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(द) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार । 3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा ।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं ।

- 4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी--
- (क) अपने 'सभी, अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुंकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;
 - (ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर --
 - (i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;
 - (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;
 - (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;
 - (iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;
 - (v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;
 - (vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;
 - (vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;
 - (viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;
 - (ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

- किसीम न्यार १४३३ शिक्षमेक प्रीट शिक्रशिक कांक्रम निम्स (x) सिप्रनिधि काम्फ्र कि १६ कि गणप कि प्रकार निम्मित क्रिमणी क्रमिक्शिक इडि तिथिंडपटाएए में
- हिए होड़ाई में में की कि में में कि में के किशाइम (iix) है किशामिस श्रीष्ट के पिड़ीए। इप्राप्त के मिक्रोक स्रि श्रीस
- क शिक्रधार ए रियाक्ट्रिस रियाक्ट्रिस शिक्ष (iiix)
- ; छिन्द्रिक् कि विक्रिक्सिए
- (vix) किसी इंतेफ्ट्रां के महान के महान के किसी (vix)
- उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ; किसिमां आं उसके द्वारा धारित हो ;
- सिया क्रिया क्रिया क्रिया में के स्टेस्क माथा क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिय क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया
- क्ष्यां स्थाप स्थाप काशिकशिक अधिकारियां सम्बन्ध काश्च (ivx)
- ,ग्राप्ट कि 5डीडी कि ,ान्ड्रिफ फ्नर मिर्ग (iivx)

ाहिक 🖰

- ; गार्फक नजडार में वेठ कफार कि रिमाशकर नडू जाएक प्रकार मुख्या अधि गार्फक तांशीकर
- ाण्यांत्र कि रिम्डनिति भिर्म ग्राप्त प्रमाप्त किरक किरोति किर्मित्र कि प्रिमित्र किर्मित्र किर्मित्र किरक किरोक्त किरोक किरोक्त किरोक क
- क फिक्रमिठी फ्रेंककधीएम एए किनिभाष्ट्रस नेगर कि फिक्रीफ किनिक्स (छ)
- सिंद कारण वस्तवस्य कराय्याः

- (4) सेभी सीमांगी की, लागत प्रमावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना अस्यान प्रमान प्रम प्रमान प्

सूचना पट्टों, संमाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम ।

- 5. (१) प्रत्येक सोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।
- (2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या घारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदामिहित करेगा:

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

- (3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।
- (4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।
- (5) कोई अधिकारी, जिसंकी उपघारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा ।
- 6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेज़ी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,—
 - (क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ;
 - (ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध । परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लॉक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

- (2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है,--
 - (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है ; या
- (ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

7. (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीच्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा:

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

- (2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिखा है।
- (3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—
 - (क) उसके द्वारा यथाअक्धारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फींस के ब्यौरें, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अविध को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अविध की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

अनुरोध क निपटारा ।

- (ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके
- (4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अप्रेक्षित है, और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध क्रुगई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ग्रा राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।
- (5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपतब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

- (6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
- (7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा ।
- (8) जहां, किसी अनुरोध को उपघारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति कों,--
 - (i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कीरण ;
 - (ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा संकेगी ; और
 - (iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, में समुचित करेगा ।
- (9) किसी सूब्रा की साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गर्या है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाली रूप से ्विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।
- ता प्राप्त के. (1) इसे अधिनियम में अंतर्षिष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति की निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगीं—
- - (ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट । ्र अभिन्नसङ्ग्रह्मा से निष्ठिद्ध क्रिया मया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान के क्रिकेटा है;

- (ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल के बिशेषाधिकार का भंग कारित होगा ;
- (घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षमें प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
- (ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;
 - (च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;
 - (छ) सूचना जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुखा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन वा सुखा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;
- (ज) सूचनाः जिससे: अपराधियों के अन्देषणः, पकड़े जाने या अभियोजन की
- (झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवीं और अन्य े अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं:

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे

हैं, प्रकट नहीं किए जाएँगे ;

(ञ) सूचना, जॉ व्यक्तिगत सूचमा से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप वार हित से संबंध नहीं रखता है वा जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अमावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तिक कि, व्यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान के महीं आता है कि ऐसी सूचना अधिकारी वा अपील प्राधिकारी का यह समाधान

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपियारा (1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई 1923 का 19

जाएगी:

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अविध को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार।

पृथक्करणीयता ।

- 9. धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंधन अन्तर्वलित करेगा।
- 10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।
- (2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि-
 - (क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक् करने के पश्चात्, उपलब्ध कराया जा रहा है:
 - (ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर् वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी हैं;
 - (ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ;
 - (घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है ; और
 - (ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रहुंच का प्ररूप भी है।

पर व्यक्ति सूचना ।

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी

भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा:

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

- (2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
- (3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।
- (4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है।

अध्याय ३

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन, करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन ।

- (2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-
 - (क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त ; और
- (ख) दस से अनिषक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं
- (a) नुष्ण सूचना आनुकत और सूचना आनुक्ता की निकृषित, सण्ट्रवित द्वारा निन्नालाखत से निलकर बनी लानिति की लिकारिश पर की जाएनी
 - (i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;
 - ानि (ii) लोकसभा में विषक्ष का नेता ; और
 - (iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री ।

स्पन्टीकरण-शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उन्ह रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

- (4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बात कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।
- (5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौधींगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुमव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।
- (6) मुख्य सूर्धना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या सेंघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।
- (7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेंगा।

पदावधि और सेवा शर्ते । 13. (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अविध् के लिए पद वारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद क्रीसण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक सूर्वना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना क्षायुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निर्देक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होमी।

- (3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना प्रद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगी
- (4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखें वार्रा अपना चंद त्याम सकेगा (१०)

- (5) संदेश केतन और भन्ने तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते—
 - (क) मुख्य सूचना आर्युक्त की वहीं होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आखुक्त की हैं ;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत संरकार के अधीन, या किसी ग्रांज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से मिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अतिगत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संशिक्तित किया गया था और संवानिवृत्ति उपदान के समितुस्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समितुस्य पेंशन भी है,

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त सा सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

- (6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जाए ।
- 14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार था असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्याबालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटी दिया जाना चाहिए।
- (2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की, जिसके विरुद्ध उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गर्या है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पीरित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिबद्ध कर सकेगा।
- (3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संस्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा संकंगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना अयुक्त वा सूचना आयुक्त,--
 - (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या
- (ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गम है, जिसमें राष्ट्रपति की संय में, नैतिक अधमता अन्तर्वतित है ; या
 - (ग) अपनी पदावर्धि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से पर किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

सूचना आयुक्त या
मुख्य सूचना
आयुक्त को हटाया
जाना।

- (घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या
- (ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- (4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाग में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दीषी समझा जाएगा।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन ।

- 15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा................ (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।
 - (2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--
 - (क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और
 - (ख) दस से अनिधक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने:आवश्यक समझे जाएं ।
- (3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,—
 - (i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;
 - (ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और
 - (iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य ।

स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

- (4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती हैं।
- (5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

- (6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाम का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई क्रांस्वार नहीं करेगा या कोई वि
- (7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राज्यत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों मूर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
- 16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

पदावधि और सेवा की शर्ते ।

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अविध के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।
- (4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा:

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त की घास 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

- (5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सैवा के अन्य निबंधन और शतें-
- (क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं ;
- (ख) राज्य सूचना आयुक्त की वहीं होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं:

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोइ पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उराही वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिक्ष किया गया

था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुब्ध पेशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फार्यदा के समतुब्ध पेशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएक:

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, असीर सोबा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

- 17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहतें हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उस किसी निर्देश पर जांच के परचाल वह स्पिर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।
- जिस हैं (2) रेकियमित, उस रिज्य बुट्य सूक्ता आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके किस्ट्र उपधास (1) के अधीन उच्चेतम खाँबोलिय को निर्देश किया गया है, ऐसे अनिर्देश पर उच्चेतम स्थायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान जाने तक, पद से निलंबित कर संकेंगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान
- प्रमुख्या (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के ड्रोडे हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सुम्रता आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, विद्या एक सुम्रता आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, विद्या एक सुम्रता आयुक्त को राज्य सूर्यना आयुक्त
 - (क) दिकालिया न्यायनिर्णीत् किया गुया है ; या
- जिल्लाह के किसी अपराध के लिए दोष्ट्रिस्ट ठहराया गया है, जिसमें स्वयंपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है; या
- कड़ील प्रहार के अस्ता **प्रहार अपनी पहाराधि के होरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी** वैतनिक
- (ड) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हिंस अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य कि में किल सूर्वना आयुर्वेत या रिज्य सूर्वना आयुक्त के रूप में उसके कृत्वों पर प्रतिकूल प्रभाव

Chaise

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

पड़ने की संभावना है।

(4) यदि साइक मुख्या सूचना आयुक्त हा कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्वथा और उसके अन्य आदस्यों के साध्र सामान्यतः इसके लाभ में या उससे ओक्सूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के विष् कृदावार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

- 18. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे —
- (क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी में विविद्धित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा अधीक के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विविद्धित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा को एक अधिकारी अथवा का प्राप्त को अधिकारी अथवा का अधिकारी अथवा का अधिकारी अधिकारी करने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;
- (ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक विष्यु विष्युंच के लिए इंग्लंस कर दिया गया है, कि 17, 1879 (1884) कि 1877 (1878)
- (ग) जिस इसे अधिनियम के अधीन विनिर्विष्ट समय-सीमा के भीतर भूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;
- (घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की बई है, जो वह अनुचित समझता है :
- (ङ) जो यह विकास करता है कि उसे इस अधिनयमू के अधीन अपूर्ण अम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है ; और
- पहुंच प्राप्त करने से संबंधिक किसी अन्य विषय के संबंध में
- (3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इसाधाकाकामधीन किसी मामले में ज्यांच करते समस्य वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो तिस्तिविद्या सामलों के किसी मानले के सिमित अकिया संस्थित के अधीन किसी मान का विचारण करते समय तिसी सामय के विचारण करते समय विचारण करते समय विचारण करते समय विचारण करते समय
- (क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कसना क्रिक्ट रूपर सौखिक का निकित उपस्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के

1908 का 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य ।

लिए उनको विवश करना ;

- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;
- (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना ;
 - (ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और
 - (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।
- (4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अमिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।
- 19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है:

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

- (2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था था वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के नीतर केन्द्रीय सूचना-आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी:
- बहुन्यू, वावतिवादी, केन्द्रीय सोक सूचना आयोग का राज्य सूचना आयोग नवे दिन की वावीय की समान्य के परवाद अवीस को प्रष्टण कर सकेगा, वाद समाधान हो प्राप्ता है कि अवीसार्थी समय पर अवीस काइस करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
- (4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देमा।
 - (5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को

अपील ।

अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा ।

- (6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अविध के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।
- (7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा ।
- (8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना , आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है--
 - (क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:--
 - (i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कसना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;
 - (ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;
 - (iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;
 - (iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना ;
 - (v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बद्दाना ;
 - (vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना ;
 - (ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ;
 - (ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना ;
 - ७.० (घ) आवेदन को नामंजूर करना । अवन १०
- (9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा ।
- (10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए ।
- 20, (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक

शास्ति ।

1923 41 19

परंतु, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के, यून पर पर कोई शास्त्रियों अधिशीरत किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर दिया जाएगा:

प्रिक्त विकास स्थाप कि स्थाप स्थापिक स्थापिक स्थाप स्थापिक स्थाप स्थाप

अध्याय ६

ोर्गिकप्त

23. को से अन्यायालय, इस अधिकाम के अधीन किस गए फिकी अपटें अपटें के संबंध में अन्य के अधिका के भावें में के मार्थ किस के मार्थ के

24. (1) इस अधिनियम में अंतिवेष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिदिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

ान्छ्र तथिक्षे र रिष्टकशिर के एएक्सीर के शिक्षिक वनाम प्रीर प्रवाज्य क्रुप

क ड्राफ्राक ड्राप् । गाइत्राप्त प्रजी ।क मफनिशिस ।काम्प डिशाय्यस

सद्भावत्वक

ाक मफनिशिक्ष घाम्प्र डिशाय्बक्ष । ान्दि

ी ानकि कि ॉंड्रालाफ कि गिर्माकिशास्त

। ाम्ब

। म्फि

इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से सांबर्धित है तो सूचना कीन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के परवात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुशेध की प्राप्ति के पैतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

- (2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन को उससे लोग करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोग किया गया समझा जाएगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्षे रखी जाएगी ।
- (4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें:

परन्तु अष्टाचार और मानव अद्यिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधार के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुसंध की प्राप्ति के पैतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

- (5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।
- 25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक स्थिटि तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेंगा
- (2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकंत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, खो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।
 - (3) प्रत्येक रिपोर्ट में, 'सस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा,—
 - ं ः ः(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या ;
- (ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजी तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;
 - (ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य

मानीटर करना और रिपोर्ट करना। सूचना आयोग को निर्दिष्ट की ग्रर्झ अपीलीं की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्टुकर्स के समाना कार्य कार्य

- ्रिंध) इस अधिनियम् के अशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की ए मई अनुशासीमक कार्रवाई की विश्विधियां ;
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारी एकत्रित की गई
 - (च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यन्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं ;
 - (क) सुधार के लिए सिफ़ारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।
 - (4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से, उपघारा (1) मे निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपीर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस अदन के समक्ष रखवाएगी।
 - (5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना ।

- 26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक--
 - (क) जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुवायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;
- ं (ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्विष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए को प्रोत्साहित कर सकेगी;
- (ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियांकलापों के बारे में सही जानकारी का
- (घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक आधिकरणों द्वारा स्वयं के अपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।
- (2) समुचित संस्कार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर अपनी संजनाषा में, सहज ब्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम

में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

- (3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित संम्मिलित होगा—
 - (क) इस अधिनियम के उद्देश्य;
 - (ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रोनिक डाक पता;
 - (ग) वह रीति और प्रस्ता, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;
 - (घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;
 - (ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;
 - (च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है;
 - ं (छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध ;
 - (ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं ; और
 - (झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपन्न ।
- (4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए ।
- 27. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।
- राजपत्र/ में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी । - ि (2) विशिष्टतस्य और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना,

ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :--

- ि अप (क) धारा अंकी उपधारा (4) के अधीन प्रसास्ति की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य:
- े १८५ (ख) धारा 😉 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फ़ीसः; 🤚
 - (ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस ;
 - (घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेंतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति ।

, जिष्ट प्रीरः मधर्का

. प्रमम किक प्रहमिश क निर्मिष्ठ निर्मिष्ठ क (01) एप्राथम् कि 😝 एप हो।

। ग्राप्ट ाएकी फड़ीकी ए हि क्रिक्षिए भूकी के नारू प्रकी कड़ीकी कि , प्रष्की फन्छ ड्रेक्स (घ)

- ाम्बी र्हाङ वास्य फ़कुरीय प्रण किकाय कि क्लीड़ मिगाम्बेपू प्रीस ायक्रवाडीही (S) राजपुत्र में अधिपुत्रचा द्वारा, निवाम बना सकेगा। 28. (1) संसम् प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधी को कार्यानित करने के लिए,
- न्न निम्मिलिक सभी या किसी विषय के प्रवंध कर सके , अर्थात् :--
- क फिधामास कि के मिल के कि कि कि कि के होंग (1)
- ; भिंद्य प्रशंभ निविध् के (1) व्यक्ष्यात्र (वे अधात्र (ii) मध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मृत्य ;
- ्रमीट, स्रीतम प्रशंस निशंद के (1) एपडम्स कि राप्राप्त (iii)
- फ़िड़ी ए हि फ़िड़िए फ़िर्फ कि राष्ट्र फ़िर्फ फ़िर्फ कि एक इंकि (vi)

29. (1) इस अधिनियम के अधीन के किया सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, 独身工工业工 網幣 ्राष्ट्र के <mark>क्राण प्रक</mark>ी के प्रत्य

। गिर्कम हिम् नामप्र फक़ितार प्रण । काप्नामधीकी कि का का किकी है। कि रिड्रण निक्षित काप्रकार के प्रकार काप्रकार ाष्ट किमिन कर के स्थान कर माथि । गाँउ हिम वाम्प इंकि क्रिक्ट ग्याप्ट विमाप हि में एक क्रीज़ांपर मेर्र लवक क्रीक्शायर कारहरूह मधनी १भर्ग कि प्रजीव ानाय प्रान्ह हिन मधन । १५० की गांच हि कमड़ा कि कार मेड़ किन कि । ए गांच कि कमड़ा गरी क रिश्क र्रोकिशीए ड्रोंक में मधनी एक रिड्म कि हैए के राष्ट्रिक के हफ़ के ड्राइ कि क रिप्त कमीकनार कार्रिया पर के हम भर्ग शिष्ट ग्रिया गाणाल छम् ई किकम दि प्रियू में रिप्त कमिक्ता कथीर ए कि प्रथम में अथत कि में हम पूरी के ब्रोहर कि नही कनाए जाने के पश्चात् प्रथाशीघ्र संसद् के प्रेलेक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी स्थाप सरकार द्वारा बनाया गाग प्रत्येत नियम

ग्रही निरुक प्रृठ कि ड्राम्डीक कि कि वि कि निर्माध कि विष्टार के निर्माहित मुड् ि , गिर्काम । एक धंबपट रिप्रे एन्द्र एड्रीस हाशाकार में हमराष्ट्र ज़क्रम छक्तिक कि ई किडि क्रिक है कि में स्प्रिक क्रिक के मधनीश्री के मधनीश्री के हैं की (1) .0£ । ।।।गार । ।। कर समर के रूडम-नाधि क्यार स्नीशाय जायर के नार प्रकी उद्योप्रधीर

ज्ञामम कि ब्रोक्ट कि **श्रे** कि में कि मिक्तिबिक मुद्र क्ष्मिक क्रिक क्रिक क्रिक ा है हिंड इति मिर मिरिए प्रिक्ति केष्ट्रशिष्ट

प्रशिष्टि क्राप्टर के निर्म प्रकी प्रदेश कर्फर सिंग हिकी निर्धि के प्राप्ट प्रष्ट (2) कर् . April 18 14 299 (1511) ा गण्याच्या प्रकाशित होत्रक्षेत्र क

न को किस के किस के इसके

1 ई ाताए 14की त्रमीमने एगड़ केमड़ 2002 मधनिकि व्यक्तिक गन्द्रम् .15

131, 80 93.

। क्रीए कि भिक

1 मिनार

THISF!

1 Explis

कि शिकशीर मन्नम

कि नाम्ब मधनी

भ्रु कि प्रिडाम्ठीक

2002 का 2

। म्फरमी

୍ରୀୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟୁ ହିଛି ସ୍

पहली अनुसूची

知识性的政治系统的证券 乾燥

पालकृति जॉल हुए । [धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले ° प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैंः जो

मुख्य सूर्यनी आयुक्त/सूर्वमा आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर जिली शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ''।

दूसरी अनुसूची (धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

- 1. आसूचना ब्यूरो ।
- 2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड।
- 3. राजस्व ऑसूचना निदेशालय ।
- 4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ।
- 5. प्रवर्तन निदेशालय ।
- 6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ।
- 7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
- 8. विशेष सीमान्त बल I
- 9. सीमा सुरक्षा बल ।
- 10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।
- 11. भारत-तिब्बत सीमा बल ।
- 12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।
- 13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।

- 14. असम राइफल्स ।
- 15. विशेष सेवा ब्यूरो ।
- 16. विशेष शाखा (सीआईडी), अंदमान और निकोबार ।
- 16. विशेष शाखा (साआइडा), अपनान जार स्वाप्त । 17. अपराध शाखा-सीआईडी-सीबी, दादरा और नागर हवेली । 18. विशेष शाखा, लबदीप पुलिस ।

The second section

टी० के0 विश्वनाथन, ्राचिव, भारत सरकार I